कार्यकारी सार

भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण प्रणाली (आईसीईएस) कोर आईसीटी प्रणाली के रूप में विकसित की गई थी जिसके माध्यम से आयात और निर्यात के दस्तावेज {एंट्री बिल्स, शिपिंग बिल्स, आयात मालसूची (आईजीएमज़्) और निर्यात माल सूची (ईजीएमज़्)} संसाधित किए जाने थे। आईसीईएस का मूल उद्देश्य निर्धारणों और मूल्यांकनों में एकरूपता सुनिश्चित करना, तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करना, लेनदेन कीमत घटाना, सरकारी एजेंसियों से व्यापार करना और डीजीसी एण्ड आईएस द्वारा संकलन हेतु शीघ्र और सटीक आयात/निर्यात आंकड़े प्रदान करना था। आईसीईसी संस्करण 1.0 को शुरूआत में 1995 में दिल्ली सीमाशुल्क भवन में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह 1997 से धीरे-धीरे अन्य सीमाशुल्क भवनों में भी संचालित होने लगा था।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2000-01 में पहली बार सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली की समीक्षा की और सीएजी की 2002 की रिपोर्ट सं. 10 (सीमाशुल्क) में अपने निष्कर्ष बताए। समीक्षा, क्रय और सॉफ्टवेयर विकास पर केन्द्रित थी। मूल रूप से यह सत्यापन करने के लिए वर्ष 2008 में आईसीईएस 1.0 की दुबारा समीक्षा की गई कि क्या इसने सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं तथा सहायक नियमों और विनियमों को प्रभावी रूप से तैयार किया है। लेखापरीक्षा समीक्षा से इन कमियों का पता चला (**i**) अपूर्ण डाटा संकलित करने वाली प्रणाली डिज़ाइन, जिसके कारण मैनुअल हस्तक्षेप, (**ii**) कारोबार नियमों की गलत रूपरेखा , (**iii**) उपयुक्त इनपुट नियंत्रण का अभाव, (**iv**) छूट अधिसूचना का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 'सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष' और अधिसूचना के क्रमांक के बीच वैधता का अभाव, (**v**) लाइसेंस और योजना संहिता की वैधता का अभाव, (**vi**) अपर्याप्त परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण और (**vii**) संसाधनों का दुरूपयोग क्योंकि प्रणाली में उपलब्ध डाटा का उपयोग नहीं किया गया और इसके बजाए मैनुअल प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया।

प्रणालीगत खामियों को बताने वाली सभी पाँच सिफारिशों को रिपोर्ट (सीमाशुल्क 2009-10 की रिपोर्ट सं. पीए 24) में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया।

जून 2009 से विभिन्न सीमाशुल्क स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से मूल आईसीईएस 1.0 को हटाकर एक उन्नत संस्करण आईसीईएस 1.5 कर दिया गया। उन्नत संस्करण की मुख्य विशेषतायें ओरेकल डाटाबेस 8आई से 10जी करना था, जो केन्द्रीकृत अनुप्रयोग के परिवेश जिसमें निम्न हों में चलता है:

I. बहु स्थानिक प्रकार्यात्मकता ;
II. प्रयोगकर्ताओं को अपने स्थान के लिए केवल डाटा जानने हेतु विभाजन के साथ एकल डाटाबेस;
III. सॉफ्टवेयर का केन्द्रीकृत अनुरक्षण और अद्यतन।

प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय का सम्पूर्ण लक्ष्य सीबीईसी के बुनियादी ढाँचे की गणना करके तथा मजबूत बनाकर क्रिया–कलापों को तकनीकी सुविधा प्रदान करना तथा संसाधनों की सुरक्षा करना है। आईसीईसी को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था क्योंकि यह सीमाशुल्क सार्वजनिक इंटरफेस का आधार बनाता है और एक संचालनात्मक समाधान के रूप में सीबीईसी के राजस्व प्रशासन की नीति का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है, जो दक्ष, प्रभावी पारदर्शी है और व्यापार की सुविधा में बढ़ोत्तरी करते समय अंतरण लागत घटाता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, हमने एक नियंत्रण आधारित मूल्यांकन सहित भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा की :

क. परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना (डाटा, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, सुविधाएँ और लोग),

ख. डाटा की गोपनीयता, निष्ठा अनुरक्षित करना, तथा

ग. आईसीईसी 1.5 एप्लिकेशन तथा इसके इंटरफेस के माध्यम से सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक नियमों की प्रक्रियाओं और प्रावधानों को प्रभावी बनाकर सीमाशुल्क अधिनियम और सहायक

नियमों में उल्लिखित विभाग के कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करना।

लेखापरीक्षा ने एप्लिकेशन के अपर्याप्त प्रकार्यात्मकता और कार्यक्षेत्र वाले मुद्दों और प्रणालीगत मुद्दों को देखा। इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 847.57 करोड़ है। इसमें 44 आपत्तियाँ और नौ सिफारिशें हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई नौ सिफारिशों में से सीबीईसी ने पाँच सिफारिशों को स्वीकार किया।

सीबीईसी का आईएस प्रबंधन तरीका दोहराने योग्य है लेकिन कुछ निश्चित प्रक्रियाओं सहित स्वंय समझे जाने योग्य हैं और एक तेजी से बदलते कारोबार और तकनीकी परिवेश में असंसूचित गैर अनुपालन का जोखिम रहता है। आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में बदलते समय आईएस प्रबंधन में कुछ गुणवत्तापरक परिवर्तन थे जैसाकि 2008 से निष्पादन लेखापरीक्षा में सीएजी द्वारा देखा गया था। यद्यपि डीओएस ने बताया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर तैयार किया है और जोखिम की पहचान की है, लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराए गए थे। इसी प्रकार सेवाओं की समयबद्धता गुणवत्ता को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण निष्पादन सूचकों को मापने हेतु बेंचमार्क प्रबंधन अनुपयुक्त थे जैसाकि प्रणालीगत मुद्दों द्वारा दर्शाया गया था और जो एप्लिकेशन के कार्यक्षेत्र और क्रिया-कलाप पर आधारित थे।